उपसमिति का कार्यवृतान्त

आज दिनांक 07-09-2020 को समय प्रातः 10.10 बजे उपसमिति की बैठक मेरे विश्राम कक्ष में आहूत की गयी जिसमें सदस्यगण श्री आबिद शमीम, अपर जिला जज कोर्ट संख्या 04, बागपत एवं श्री प्रेमप्रकाश जॉयसवाल, सिविल जज सी०डि०, बागपत उपस्थित आये।

बैठक में केन्द्रीय नजारत के प्रार्थनापत्र दिनांकित 16-07-2020 पर पारित माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश संख्या 221 दिनांकित 16-07-2020 के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। दुकानें निर्धारित स्थल पर लगी हुयी हैं। केन्द्रीय नाजिर द्वारा अवगत कराया गया समिति की आख्या के क्रम मे माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत के आदेश दिनांकित 23-12-2018 के क्रम मे किराया की दर 22/- प्रति वर्ग मीटर प्रति सप्ताह की दर निर्धारित की गई। नगर पालिका परिषद बागपत दर के सम्बन्ध मे आख्या आहूत की गई।

प्रभारी अधिकारी (नजारत कलक्ट्रेट, बागपत) के पत्रांक 674/ नाजिर सदर- 2020 दिनाक-16-03-2020 पत्र के अनुक्रम में मेरे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 27-8-2020 जिला बार परिसर में स्थित 02 कैण्टीन के आवंटन/नीलामी एवं प्रस्तावित स्थल पर अस्थाई दुकानो के आवंटन हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन दिनांकित 27-08-2020 के द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।

1- सरकारी गजट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित इलाहाबाद दिनांकित 23 मार्च 2013(चैत्र 2, 1935 शक संवत) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1956(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस के कालम संख्या-2 मे वर्णितः –जो दुकानदार नगर पालिका परिषद बागपत के बोर्ड के निर्देशानुसार चिन्हित स्थल पर अथवा पालिका की सडक की भूमि पर साप्ताहिक पैठ में अस्थाई रूप से फण्ड लगाकर जनउपयोगी वस्तुएं विक्रय करेगा वह पालिका को रूपये 15/- प्रतिवर्ग मीटर की दर से प्रति सप्ताहिक पैठ फंड लगाने से पूर्व अदा करेगा। नगर पालिका की दर मे कोई बढोत्तरी नही हुई है

जो दुकानदार साप्ताहिक पैठ मे जनउपयोगी वस्तुएं विक्रय करने हेतु अस्थाई फड, लगाना चाहेगा वह अपना तथा अपने सहयोगी के नाम पते एवं फोटो सहित केन्द्रीय **नजारत अनुभाग मे दिनाक 14.09.2020 तक आवेदन कर सकता है।** आवेदन कर्ता का चरित्र सत्यापन सम्बन्धित थाने से कराया जायेगा। **आवेदन की नियम वे शर्ते नियम व शर्ते निम्नवत है** ः -

1- प्रत्येक पुराने व नये आवेदनकर्ता को अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ आपना-अपना आवेदन प्रभारी अधिकारी नजारत जनपद बागपत को प्रस्तुत करना होगा प्रत्येक दुकानदार सुबह 8.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक अपनी दुकाने लगा सकते है।

2- आवेदनकर्ता पूर्व वे स्थल/ दुकान हेतु स्थान की भलीभाति पहचान व निरीक्षण कर लें तथा सभी आवेदनकर्ता को सभी नियम व शर्तो के पालन का घोषणापत्र देना होगा।

3- विक्रय योग्य खाद्य पदार्थो के लिए 30प्र0 सरकार द्वारा जारी नियमो व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशो एवं कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुये स्वच्छता का विशेष ध्यान देना होगा।

4- सभी आवेदनकर्ता व्यक्ति/ फर्म/ दुकानदार द्वारा निर्धारित स्थल पर साफ सफाई आदि का पूर्ण ध्यान रखना होगा।

5- न्यायालय परिसर के बाहर प्रास्तवित स्थल पर आंवटित भूमि/स्थान पर कोई स्थायी निर्माण कार्य नही किया जायेगा।

6- अपनी दुकान हेतु आवंटित स्थान/भूमि को माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदन के उपरान्त ही अमल में लाया जायेगा और जो भी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा शर्ते निर्धारित की जायेगी, उसे मानने के लिये दुकानदार/ फर्म/ व्यक्ति बाध्यकारी होगा तथा दुकानदार के स्वंय के खर्चे पर आंवटित भूमि को तुरन्त खाली करनी होगी।

7- प्रत्येक दुकानदार को नगर पालिका की पैठ की निर्धारित दर के आधार पर समिति द्वारा निर्धारित दर से प्रत्येक सप्ताह के प्रथम दिन सोमवार को अग्रिम रूप से संपूर्ण धनराशि नियमानुसार नजारत अनुभाग मे स्वयं जमा करनी होगी। इस आशय की एक दस रूपये के स्टांप पेपर पर अण्डरटेकिंग भी देनी होगी। इसके अतिरिक्त यदि नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाया जाता है, तो उसकी देनदारी दुकानदार की होगी।

8- अपूर्ण व गलत अभिलेख प्रस्तुत करने पर दुकानदार/व्यक्ति/फर्म को आवंटित भूमि/स्थान का आवंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

9- आवंटित भूमि/स्थान स्वीकृत होने के बाद समिति द्वारा निर्धारित धनराशि माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदन के उपरान्त फर्म/ व्यक्ति/ दुकानदार द्वारा बाध्यकारी होगा।

10- किसी भी दुकानदार हेतु आवंटित भूमि/स्थान को सरसरी तौर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, बागपत के पास सुरक्षित होगा।

अतः न्याय विभाग के न्यायालय के बाहरी परिसर के प्रस्तावित स्थल की भूमि पर (साप्ताहिक पैठ) में अस्थाई रूप से फड लगाकर जनउपयोगी वस्तुएं विक्रय करेगा वह न्याय विभाग बागपत को रूपये 22/- प्रतिवर्ग मीटर की दर से प्रति सप्ताहिक पैंठ फड लगाने से पूर्व अदा करेगा।

केन्द्रीय नाजिर प्राप्त आवेदन को प्रभारी अधिकारी नजारत बागपत, के निर्देशन मे अमीन अदालत से पैमाईस कराते हुये आख्या के समिति के समक्ष दिनांकित 16.09.2020 को प्रस्तुत करेगें।

02- प्रभारी अधिकारी (नजारत कलक्ट्रेट, बागपत) के पत्रांक 674/ नाजिर सदर-2020 दिनाक 16-03-2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला न्यायालय परिसर (जिला बार एसोसिएशन परिसर बागपत में स्थित) में स्थित कैण्टीन का आवंटन एवं नीलामी जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गयी है, इस सम्बन्ध में अपने स्तर से कार्यवाही करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। **<u>पत्र के अनुक्रम में मेरे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 27-8-2020 जिला बार परिसर में स्थित दो कैण्टीन के आवंटन / नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन दिनांकित 27-08-2020 के द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।</u>**

उक्त के सम्बन्ध मे केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि जिला बार परिसर मे स्थित 02 कैण्टीन के सम्बन्ध मे अपनी आख्या दिनांक 08-09-2020 तक समिति के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे उक्त दोनो राजकीय कैण्टीनो की नीलामी सी०एल० नम्बर 163/ए.ए. दिनांकित 08 नवम्बर 1974 व सी०एल० नम्बर 28/ए.ए. दिनांकित 17 मार्च 1958 में दिये गये नियम व शर्तो के अनुसार नियमानुसार की जा सकें।

आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

प्रेमप्रकाश जायसवाल
सदस्य उपसमिति
सि०जज सी०डि०/एफ.टी.सी.,
बागपत

आबिद शमीम
सदस्य उपसमिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-4, बागपत।

शैलेन्द्र पाण्डेय
अध्यक्ष उपसमिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(विशेष)
एस.सी./एस.टी. एक्ट, बागपत।